तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
04-3-2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री के.के. पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थी । श्री ब्रदी प्रसाद सांखी, अभिभाषक अप्रार्थी। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी डूंगरगढ जिला बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–7–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी डूंगरगढ के समक्ष बाबत् विवादित आराजी पेश किया, जो डिक्री किया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। अप्रार्थी सं.1 ने प्रकरण रिमाण्ड होने पर दावे के जवाबदावे के साथ काउंटर क्लेम पेश किया जिस पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर क्रोस वाद का जवाब पेश करने का अवसर देने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 10–7–06 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि अप्रार्थी सं.1 को पक्षकार बनाते हुये उसे विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसंगत निर्णय पारित करें। रिमाण्ड प्रकरण में अप्रार्थी सं.1 ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को अपना पक्ष रखना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में बिन्दु सं.8 व 9 काउंटर क्लेम है अतः जवाब का अवसर दिया जाना आवश्यक है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी को न्यायहित में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कहा कि मूल वाद प्रार्थी का है तथा अप्रार्थीया मात्र पक्षकार बनी है। पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन है। ऐसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बाबत् प्रार्थना खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से निगरानी खारिज की जावे। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी को जवाब पेश करने का अवसर कोस्ट पर दिया जा सकता है। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी का वाद डिक्री होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीया को पक्षकार बनाते हुये पुनः निर्णय पारित करने हेतु उपखंड अधिकारी डूंगरगढ के समक्ष विचाराधीन है। अप्रार्थीया प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे के साथ घोषणा हेतु काउंटर क्लेम (क्रोस सूट) से अनुतोष चाहा है। उक्त काउंटर क्लेम में प्रार्थी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश के जरिये इस आधार पर खारिज किया है कि संशोधित तनकीयात कायम होकर पत्रावली वादी के साक्ष्य के स्तर पर जैरकार है। अप्रार्थीया द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में काउंटर क्लेम पेश कर घोषणा का अनुतोष चाहा है ऐसी स्थिति में वादी प्रार्थी को काउंटर क्लेम में जवाब प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायहित में यह उचित समझते है कि प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे, ताकि काउंटर क्लेम में प्रार्थी को अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये हस्तगत् निगरानी प्रार्थना पत्र रू. 1000/– की कॉस्ट भुगतान करने की शर्त पर स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10–7–06 को अपास्त किया जाता है और प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि वह उपखंड अधिकारी डूंगरगढ के न्यायालय में आगामी दो तारीख पेशी पर प्रतिवादी मोहनीदेवी के जवाबदावे एवं काउंटर क्लेम/क्रोस सूट का जवाब आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर देवे तथा आगामी पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में कोस्ट राशी जमा करावें। उभय पक्ष उपखंड अधिकारी डूंगरगढ के न्यायालय में दिनांक 19–3–2025 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	